

# न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 55/2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम पवन

## निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तोलियासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल पवन पुत्र नारायण जाति पुरोहित निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर के खसरा नम्बर 242 तादादी 6.05 है। किस्म भूमि गै.मु.गोचर भूमि में से 1.70 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2075 में नाजायज मेड बन्दी कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया। नोटिस जवाब में गैर सायल ने लिखा कि अप्रार्थी का जो कब्जा बताया गया है, वहां पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर मेड बन्दी कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल पवन का उक्त खसरा नम्बर 242 तादादी 6.05 है। गै.मु.गोचर भूमि में से 1.70 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल पवन अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल पवन पुत्र नारायण जाति पुरोहित निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर के आराजी ख.नं. 242 तादादी 6.05 है। गै.मु. गोचर भूमि में से 1.70 हैक्टेयर भूमि का सम्वत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 1.70 रूपये का 50 गुणा से 85.00 रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।



नायब तहसीलदार  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज